न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 226 / 2022

प्रार्थीगण **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. धन्नाराम पुत्र कोहलाराम उम्र 36 वर्ष 2. हीराराम पुत्र गंगाराम उम्र 19 वर्ष 3. सताराम पुत्र गंगाराम उम्र 17 वर्ष 4. चुनाराम पुत्र गंगाराम उम्र 15 वर्ष 5. अशोक कुमार पुत्र गंगाराम उम्र 13 वर्ष 6. लीला पुत्री गंगाराम उम्र 11 वर्ष 7. तीजोंदेवी पत्नि गंगाराम उम्र 38 वर्ष वादीगण संख्या 3 से 7 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता वादीनी संख्या 7 तीजोंदेवी पत्नि गंगाराम जाति जाट निवासी जैमलाणी सारणों का तला, तहसील सिणधरी जिला बाडमेर	1. कोहलाराम पुत्र पीराराम उम्र 68 वर्ष 2. प्रभूराम पुत्र कोहलाराम उम्र 34 वर्ष 3. हत्थू चौधरी पत्नि प्रनूराम उम्र 31 वर्ष जाति जाट निवासी जैमलाणी सारणों का तला, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार, सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता **वादी** की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 1 सें 3 एकतरफा।
3. प्रतिवादी सं. 4 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक– 07.12.2023

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 2 पैतृक व पुश्तैनी कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 1.0113 हेक्टयर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.9384 हेक्टयर, खसरा नम्बर 23 रकबा 2.5322 हेक्टयर, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.0971 हेक्टयर, खसरा नम्बर 26 रकबा 6.0675 हेक्टयर मौजा जैमलाणी सारणों का तला पटवार क्षेत्र कौशलू तहसील सिणधरी जिला [illegible] स्थित है जो प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मुतवफी पीराराम के खातेदारी [illegible] के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा प्रार्थीगण के दादा/[illegible] के फौत होने पर उनके पुत्रों [illegible] राम के स्थान पर दर्ज [illegible] जिससे प्रार्थीगण के पिता/दादा विप्रार्थी संख्या 1 का नाम [illegible] प्रार्थीगण के पिता/दादा विप्रार्थी संख्या 1 को पैतृक खातेदारी अधिकारो की है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पिता/दादा विप्रार्थी संख्या 1 को पैतृक सम्पति के रूप में वादग्रस्त समस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता/दादा विप्रार्थी संख्या 1 को पैतृक सम्पति के रूप में अपने पिता पीराराम से प्राप्त हुई थी जिससे प्रार्थीगण के जन्म के साथ ही वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा निहित हो गया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के पिता/दादा विप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थी संख्या 1 जो विप्रार्थी संख्या 1 के जायदा पुत्र व विप्रार्थी संख्या 2 से [illegible] 7 विप्रार्थी संख्या की पुत्रवधू है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:41:05 IST
Reason: Self Attested

विपार्थी संख्या 2 से 7 के पिता व पति गंगाराम का देहान्त हो चुका है, के अधिकार अपने पिता के बराबर उनके जन्म के साथ ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार पैदा हो चुके है, जिससे प्रार्थीगण व विपार्थी संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त भूमि का समान हक हिस्सा पैतृक खातेदारी का है जिस कारण प्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 से 7 का 1/4 हिस्सा, विपार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा खातेदारी का है। तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य भूमि का बाहामी बटवाड़ा किया हुआ था तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर रहवासी ढाणी बनाकर अपने परिवार सहित अलग निवास कर रहे है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की सहदायिकी सम्पति है तथा प्रत्येक का बराबर हक हिस्सा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम अंकित नहीं था तथा समस्त भूमि विप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसका प्रार्थीगण के पिता विप्रार्थी संख्या 1 ने नाजायज फायदा उठाते हुऐ बेशकीमती भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 2.5322 हेक्टयर में अपने विधिक हिस्से से अधिक प्रार्थीगण के हिस्से सहित समस्त भूमि का एक दान पत्र दिनांक 15.07.2022 को विप्रार्थी संख्या 3 जो विप्रार्थी संख्या 2 की पत्नि है के पक्ष में कर दिया था जिस संबंध में प्रार्थीगण से कोई सहमति नहीं ली गई है तथा न ही प्रार्थीगण को कोई जानकारी दी गई तथा प्रार्थीगण के विप्रार्थी संख्या 1 ने गुप्त रूप से अपने नाम दर्ज भूमि का दान प्रार्थीगण के हिस्से सहित कर दिया है जो दानपत्र प्रार्थीगण के हक हिस्से तक प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है क्योंकि वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा पैतृक खातेदारी की भूमि में प्रार्थीगण का जन्म के साथ ही हक हिस्सा निहित हो गया था तथा प्रार्थीगण स्व पीराराम के विधिक उत्तराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में अपना हक हिस्सा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार जन्म के साथ ही निहित होने से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का जन्म के साथ अधिकार निहित हो गये थे जिससे वादग्रस्त भूमि अपने पिता विप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थीगण का समान हक हिस्सा था परन्तु उसके बावजूद भी प्रार्थीगण के पिता ने प्रार्थीगण के हितों को अनदेखा करते हुऐ अपने विधिक 1/4 हिस्से से अधिक भूमि खसरा नम्बर 23 की समस्त भूमि का दान विप्रार्थी संख्या 3 को किया गया है तथा अब वादग्रस्त आराजी की वर्तमान में कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ओर भूमि विप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में हस्तातंतरण करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त पैतृक व सहदायिकी भूमि से महरूम करना चाहते हैं तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि में हस्तक्षेप कर प्रार्थीगण को बलपूर्वक बेदखल करने पर आमादा है और अगर वह ऐसा करने में वह सफल हो गये तो न केवल प्रार्थीगण के दावे का उद्देश्य समाप्त होगा अपितु प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी। मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में होने से पूर्व में दिनांक 12.08.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश विप्रार्थीगण [illegible] पारित कर रखा है। अतः अब विप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद के निस्तारण [illegible] जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वे वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 1.0113 हेक्टयर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.9384 हेक्टयर, [illegible] हेक्टयर, खसरा नम्बर 25 रकबा 0. 0971 हेक्टयर, खसरा नम्बर 26 रकबा 6.067[illegible] हेक्टयर मौजा जैमलाणी सारणों का तला पटवार क्षेत्र कौशलू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में प्रार्थीगण के हिस्सा व कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें व न ही जबरन बेदखल करने का प्रयास किया जावें, न ही बेचान व हस्तातरण आदि करें, तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की स्थिति यथावत रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:41:05 IST
Reason: SelfAttested

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 2 पैतृक व पुश्तैनी कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 1.0113

SDO सिणधरी

हेक्टयर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.9384 हेक्टयर, खसरा नम्बर 23 रकबा 2.5322 हेक्टयर खसरा नम्बर 25 रकबा 0.0971 हेक्टयर, खसरा नम्बर 26 रकबा 6.0675 हेक्टयर मौजा जैमलाणी सारणों का तला पटवार क्षेत्र कौशलू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में स्थित है जो प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मुतवफी पीराराम के खातेदारी का तथा पीराराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा प्रार्थीगण के दादा/पड़दादा पीराराम के फौत होने पर उनके पुत्रों प्रार्थीगण के पिता/दादा विप्रार्थी संख्या 1 का नाम पीराराम के स्थान पर दर्ज हुआ जिससे प्रार्थीगण के पिता/दादा विप्रार्थी संख्या 1 को पैतृक खातेदारी अधिकारो की है। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता/दादा विप्रार्थी संख्या 1 को पैतृक सम्पति के रूप में अपने पिता पीराराम से प्राप्त हुई थी वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के पिता/दादा विप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थी संख्या 1 जो विप्रार्थी संख्या 1 के जायदा पुत्र व विप्रार्थी संख्या 2 से 6 विप्रार्थी संख्या 1 के पोते पोती व विप्रार्थी संख्या 7 विप्रार्थी संख्या की पुत्रवधू है तथा विप्रार्थी संख्या 2 से 7 के पिता व पति गंगाराम का देहान्त हो चुका है। जहां तक प्रार्थीगण की ओर से विवादित भूमि को पुश्तैनी बताते हुए अपने आप को विप्रार्थी संख्या 01 की पौत्र–पौत्रिया बताया है, जो मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण राहत प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं? लेकिन हस्तगत प्रकरण में विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बेचान कर दी गई है और पुश्तैनी भूमि में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पुत्र–पुत्रो यथा पौत्र–पौत्रिया का हक हकूक नियत होता है। ऐसी सूरत में यदि विवादित भूमि का नामान्तकरण पारित हो जाता है तो प्रथम द्रष्यता प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना रहती है तथा पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रथम द्रष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी संख्या 01 से 03 को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा जैमलाणी सारणों का तला पटवार क्षेत्र कौशलू तहसील सिणधरी की खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 1.0113 हेक्टयर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.9384 हेक्टयर, खसरा नम्बर 23 रकबा 2.5322 हेक्टयर, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.0971 हेक्टयर, खसरा नम्बर 26 रकबा 6.0675 हेक्टयर के प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:41:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 07.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी